न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना-पत्र संख्या 672/2026

इस्लाम खान उर्फ बल्ला पुत्र श्री चाहत खान, उम्र करीबन 40 साल, निवासी नंगला बंजीरका, पुलिस थाना बगड तिराया, जिला अलवर (राज.)

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर

--विपक्षी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2026, पुलिस थाना एन.ई.बी., अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः-

1- श्री अमजद खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2- श्री महेश चंद शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 08.06.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त इस्लाम खान उर्फ बल्ला की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2026, पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर, में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी पवन कुमार चौहान ने एक परिवाद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि कन्वर्टशुदा प्लॉट संख्या 25 खसरा 151 ग्राम दाउदपुर अलवर को जरिये इकरारनामा दिनांक 30.11.2007 को अभियुक्त सूबेखान ने अभियुक्त इस्लाम खां को विक्रय कर तयशुदा राशि प्राप्त कर उक्त प्लॉट का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। अभियुक्त इस्लाम खां ने उक्त प्लॉट खरीदने के बाद प्लॉट संख्या 25 में से 1/3 प्लॉट संख्या 25ए को दिनांक 30.06.2013 को जरिये इकरारनामा परिवादी को विक्रय कर दिया। अभियुक्त इस्लाम ने उक्त प्लॉट का दूसरा 1/3 हिस्सा प्लॉट संख्या 25बी सईदा खां को बेचान कर दिया। परिवादी अपने हिस्से वाले प्लॉट संख्या 25ए पर अपना मकान बनाने के लिए गया, तो वहां पर दो व्यक्ति अभियुक्त इलियास व तैयब खां मौजूद मिले, जिन्होंने कहा कि वह इस प्लॉट पर मकान नहीं बना सकता तथा परिवादी को धमकी दी। अभियुक्तगण इलियास व तैयब ने उक्त प्लॉट अभियुक्त इस्लाम से खरीद लेना बताया। परिवादी की जानकारी में आया कि आपराधिक मंतव्य से बेईमानी से दुरूविनियोग कर अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से छल व कपटपूर्वक परिवादी को प्रवंचित कर

अभियुक्त सूबेखान ने कन्वर्टशुदा प्लॉट संख्या 25 का दिनांक 13.05.2025 को मुलजिम इलयास के पक्ष में रजिस्टर्ड बयनामा कर दिया, जिस रजिस्टर्ड बयनामा पर इस्लाम खां व तैयब ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किये है। अभियुक्त इलयास को उक्त प्लॉट के बेचान की जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर, उक्त प्लॉट परिवादी को हानि पहुंचाने की नीयत से खरीदा है .....इत्यादि।

3- उक्त परिवाद को धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनुसंधान हेतु पुलिस थाना एन.ई.बी. अलवर भेजे जाने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2026 पुलिस थाना एन.ई.बी, जिला अलवर पर अंतर्गत धारा 318(4), 329(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 29.05.2026 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 02.06.2026 को खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में गलत व झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मामला सिविल प्रकृति का है। परिवाद में परिवादी ने इकरारनामा के जरिये जो प्लॉट क्रय करना बताया है, वह इकरारनामा दिनांक 30.06.2013 का है। परिवादी ने इकरारनामा के निष्पादन के करीब 13 वर्ष बाद परिवाद पेश किया है। परिवादी ने अभी तक उक्त संपत्ति के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद भी प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त कई दिनों से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। इस आधार पर जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त प्लॉट को अपना बताते हुए परिवादी को विक्रय किया है व उससे धनराशि प्राप्त की है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रारंभ से ही छल करने का आशय रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बाद में उसी संपत्ति प्लॉट को अन्य व्यक्ति को विक्रय किया गया है, जो मूल स्वामी सूबेखान द्वारा इलयास खान को विक्रय कराया गया है, जो वर्ष 2025 में विक्रय किया गया है, जिस सेलडीड में प्रार्थी/अभियुक्त भी गवाह है। ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त का छल करने का आशय शुरू से ही रहा होना प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 01 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः-

क्र.सं.	एफ.आई.आर. नं./ पुलिस थाना	केस नं.	न्यायालय का नाम	धाराऐं	स्टेटस	जमानत की दिनांक	आगामी पेशी
1.	63/2026 एन.ई.बी., अलवर	-	-	318(4), 316(2), 329(3), 61(2) B.N.S.	-	-	-

7- मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, परिवादी के साथ छल कारित करने के आशय से बेईमानी से उससे रूपये प्राप्त कर, परिवादी को बेचे गये प्लॉट को पुनः किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने तथा उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर, आपराधिक न्यासभंग कारित करने संबंधी धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप हैं। केस डायरी के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि प्रकरण में परिवादी के पक्ष में जो इकरारनामा निष्पादित हुआ है, वह वर्ष 2013 में हुआ है, जिसके उपरांत परिवादी ने परिवाद वर्ष 2026 में करीब 13 वर्ष बाद पेश किया है। प्रकरण में संपत्ति के संबंध में इकरारनामा की पालना नहीं किये जाने के संबंध में विवाद है। मामला सिविल प्रकृति का है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 29.05.2026 को गिरफतार किया जाकर, वह विगत करीबन 11 दिनों से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त इस्लाम खान उर्फ बल्ला पुत्र श्री चाहत खान की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी सन्तुष्टि बाबत पचास हजार रूपये की राशि का मुचलका एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये की दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा लेवे, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 08.06.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर